

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०



(भारत सरकार का उद्यम)

महाराज कॉलोनी, बलिया खेड़ी ब्लॉक के सामने, दिल्ली रोड, सहारनपुर (उ०प्र०)

पावर ग्रिड

सं० पावर ग्रिड/सहारनपुर/

दिनांक 31-2-14

सं० 87
 नाम श्री श्रीतम सिंह
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री राज सिंह
 पत्नी रानी देवी
 पो० रामपुर
 जिला सहारनपुर

भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनुच्छेद 164 व भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 अनुच्छेद 10 से 19 में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, आपको सूचित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार विद्युत उद्यम का उद्यम) द्वारा 400 के०वी०डी०/सी० रुड़की-सहारनपुर पैकेज के बनाते समय उचित ध्यान रखा जायेगा कि आपकी फसल की कम से कम क्षति हो, फिर भी अपरिहार्य कारणोंवशा उपरोक्त लाईन निर्माण के समय नष्ट हुई आपकी फसल को आपके खर्च पर ठीक कर दिया जायेगा। क्षतिग्रस्त फसल की क्षतिपूर्ति, जो राजस्व विभाग या उसके द्वारा निर्धारित/निर्देशित किसी अन्य सक्षम विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, का मुग्रतान स्वामित्व सत्यापन के उपरान्त किया जायेगा।

क्षति का विवरण

संकेतन संख्या	कार्य विवरण	फसल	क्षेत्रफल
33/14	नाशित फसल	धान	50 x 60 = 3000 वर्ग मीटर

भवदीय
 वास्ते पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

श्रीतम सिंह पु०/पत्नी राज सिंह
 मैं स्वीकार करता हूँ कि उपरोक्त फसल का स्वामी हूँ, जिसका राजस्व विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन मुझे स्वीकार होगा तथा इस कार्य में मेरी सहमति प्रदान करता हूँ।

हस्ताक्षर Ajit Singh

किया जाता है उपरोक्त फसल के स्वामी श्री श्रीतम सिंह पु०/पत्नी राज सिंह
 तहसील रामपुर जिला सहारनपुर है।

देवेश कुमार सिंह / Devesh Kumar Singh
 मुख्य प्रबंधक (टी. एल.) / Chief Manager (T.L.)
 पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
 Power Grid Corporation of India Limited
 400 / 220 के०वी० उपकेंद्र, पुहाना, रुड़की-247667
 400 / 220 KV Substation, Puhana, Roorkee-247667

हस्ताक्षर
 नाम ग्राम प्रधान
 जिला

तहसीलदार-तहसील

अनुरोध है कि ऊपर लिखित फसलों की हानि का मूल्यांकन कराने का कार्य

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

(भारत सरकार का उद्यम)



पावर ग्रिड

दिनांक 4.10.14

महादेव कॉलोनी, बलिया खेड़ी ब्लॉक के सामने, दिल्ली रोड, सहारनपुर (उ०प्र०)

पत्र सं० पावर ग्रिड/सहारनपुर/

क्र. सं० 915

दिनांक

पत्नी/श्रीमती प्रियंका सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री राजेश सिंह
 नाम सरोजिनी शर्मा पो० इलाहाबाद
 तहसील सहारनपुर जिला सहारनपुर

शेखर/महोदय,

भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनुच्छेद 164 व भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 अनुच्छेद 10 से 19 में निहित कानून का प्रयोग करते हुए, आपको सूचित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार विद्युत उद्यम का उद्यम) द्वारा 400 के०वी०डी०/सी० रुड़की-सहारनपुर पैकेज के बनावते समय उचित ध्यान रखा जायेगा कि आपकी फसल की क्षति से कम से कम क्षति हो, फिर भी अपरिहार्य कारणोंवश उपरोक्त लाईन निर्माण के समय नष्ट हुई आपकी फसल को आपके खर्च पर पुनर्स्थापित किया जायेगा। क्षतिग्रस्त फसल की क्षतिपूर्ति, जो राजस्व विभाग या उसके द्वारा निर्धारित/निर्देशित किसी अन्य सक्षम अधिकारी विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, का भुगतान स्वामित्व सत्यापन के उपरान्त किया जायेगा।

फसल का विवरण

प्लॉट लोकेशन संख्या	कार्य विवरण	फसल	क्षेत्रफल
33/4	राजेश सिंह	गेहूँ	50 x 62 = 3100 वर्ग मीटर

भवदीय
 वास्ते पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

प्रियंका सिंह पु०/पत्नी राजेश सिंह

गवाह करता हूँ कि उपरोक्त फसल का स्वामी हूँ, जिसका राजस्व विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन मुझे स्वीकार होगा तथा इस कार्य में मेरी सहमति प्रदान करता हूँ।

स्वामी का हस्ताक्षर Prakash Singh

गवाह किया जाता है उपरोक्त फसल के स्वामी श्री प्रियंका सिंह पु०/पत्नी राजेश सिंह
 पत्नी नाम सरोजिनी शर्मा तहसील सहारनपुर जिला सहारनपुर है।
 हस्ताक्षर Devesh Kumar Singh
 नाम ग्राम प्रधान

लिपि तहसीलदार-तहसील सहारनपुर जिला सहारनपुर
 आपसे अनुरोध है कि ऊपर लिखित प्रियंका सिंह द्वारा उपरोक्त फसल की हानि का मूल्यांकन कराने का कष्ट Devesh Kumar Singh द्वारा किया गया है।
देवेश कुमार सिंह / Devesh Kumar Singh
 मुख्य प्रबंधक (टी. एल.) / Chief Manager (T.L.)
 पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
 Power Grid Corporation of India Limited
 400 / 220 के०वी० उपकेन्द्र, पुहाना, रुड़की-247667
 400 / 220 KV Substation, Puhana, Roorkee-247667

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

(भारत सरकार उद्यम)

400/220 के वी. उपकेंद्र, ग्राम मोहनपुर गाँव, पोस्ट-अखंडा, दिल्ली रोड, सहारनपुर - 247451



पावर ग्रिड

पत्रसं० : पावर ग्रिड/सहारनपुर/

2454

दिनांक 21/11/20

सेवा में,

श्री/श्री मती

प्रित्त सिंह

पुं/पत्नी श्री

राज सिंह

ग्राम

सहाली हरिया

पो०

रामपुर

तहसील

रामपुर

जिला

सहारनपुर

महोदय/महोदया,

भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनुच्छेद 164 व भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 अनुच्छेद 10 से 19 निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको सूचित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार विद्युत मंत्रालय का उद्यम) द्वारा 400 के०वी०डी०/सी० रूड़की-सहारनपुर पैकेज के बनावे समय उचित ध्यान रखा जायेगा कि आपकी फसल की कम से कम क्षति हो, फिर भी अपरिहार्य कारणोंवश उपरोक्त लाईन निर्माण के समय नष्ट हुई आपकी फसल को आपका सुपुर्द कर दिया जायेगा। क्षतिग्रस्त फसल की क्षतिपूर्ति, जो राजस्व विभाग या उसके द्वारा निर्धारित/निर्देशित किसी अन्य सक्षम अधिकारी विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, का भुगतान स्वामित्व सत्यापन के उपरान्त किया जायेगा।

फसल का विवरण

टावर लोकेशन संख्या	कार्य विवरण	फसल	क्षेत्रफल
33/4	नए लाईन	जन्त	

भवदीय

चारते पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

में प्रित्त सिंह पुं/पत्नी राज सिंह

सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त फसल का स्वामी हूँ, जिसका राजस्व विभाग किया गया मूल्यांकन मुझे स्वीकार होगा तथा क के लिए मेरी सहमति प्रदान करता हूँ।

भूस्वामी का हस्ताक्षर
Abhay Kumar

प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त फसल के स्वामी श्री प्रित्त सिंह पुं/पत्नी राज सिंह निवासी ग्राम सहाली हरिया तहसील रामपुर जिला सहारनपुर हस्ताक्षर नाम ग्राम प्रधान जिला

प्रतिलिपी : तहसीलदार-तहसील आपसे अनुरोध है कि ऊपर लिखित देवेश कुमार सिंह / Devesh Kumar Singh मुख्य प्रबंधक (टी. एन.) / Chief Manager (T.L.) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड Power Grid Corporation of India Limited 400/220 के वी० उपकेंद्र, पुहाना, रूड़की-247667 400 / 220 KV Substation, Puhana, Roorkee-247667 फसलों की हानि का मूल्यांकन कराने का

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०

(भारत सरकार का उद्योग)

पावर ग्रिड लि०, 400/220 KV उपकरणों के विभाग, दिल्ली रोड, पुहाना (उ०प्र०)

आपका क्र. 210

दिनांक 29/7/15

आपका नाम देवेश कुमार सिंह

पुत्र/पुत्री/पत्नी के

राम सिंह

आपका पता 210

तहसील रामपुर, मंडला

जनपद बरेilly

विषय : 400 के.वी. रुड़की-सहरनपुर पारंपर्य लाइन के मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों को काटने के सम्बन्ध (भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को अन्तर्गत सूचना)

सूचना

इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आपके कुछ वृक्ष जिनका विवरण नीचे दिया गया है उपरोक्त पावर लाइन के मार्ग में आ रहे हैं। विद्युत सुरक्षा नियमों के अधीन (इंटरनल इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 20 03 (अद्यतन संशोधित) एवं जनसुरक्षा के कानून) इन वृक्षों को काटा जाना आवश्यक है।

आपको सूचित है कि आप इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर सम्बन्धित घन विभाग के कार्यालय से निम्नलिखित प्रारंभिक विवरण वृक्षों को काटने का प्रस्ताव देना होगा। वृक्षों का मुआयना सम्बन्धित राजस्व/घन/उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित किण्विक पुरातन तकनीक/द्वारा सम्बन्धित साधारण के उपकरणों द्वारा किया जाएगा।

वृक्षों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	वृक्ष की प्रजाति	वृक्षों की लंबाई (के.मी.) एवं संख्या						अन्य वि.
			1-30	30-45	45-60	60-75	75-90	90-105	
1	सिंह	पेड़	2	1	1	1	1	1	
2	रामपुर	पेड़				56	7		

यदि आपका जवाब है कि मुझसे इन वृक्षों का अन्तर्गत में ही एकमात्र जवाबी है यदि इस पर कोई स्थगित किया जाता है तो उसके विषय में ज्ञान उत्तरदायी होगा।

अधीन हस्ताक्षर

पावर ग्रिड प्रतिनिधि के।

देवेश कुमार सिंह

हस्ताक्षर

देवेश कुमार सिंह / Devesh Kumar Singh
 मुख्य प्रबंधक (टी. एल.) / Chief Manager (T.L.)
 पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
 Power Grid Corporation of India Limited
 400 / 220 के.वी. उपकेंद्र, पुहाना, रुड़की-247667
 400 / 220 KV Substation, Puhana Roorkee-247667

